## कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 1040/ FP/UK/ROAD/9662/2015:देहरादून:दिनांक: 24 सितम्बर,2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

**विषयः– जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत कुड से कोटला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.0415 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

**संदर्भः–राज्य सरकार की पत्र संख्या–75/X-4-16/1(14)/2016 दिनॉक 29–02–2016.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे राज्य सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 6.083 हे0 ग्राम कोटला सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 14,73,510.00 (रू0 चौदह लाख तिहत्तर हजार पॉच सौ दस) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्र संख्या–632/12–1 दिनांक 23–09–2016 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कोटला, पटटी–बनाल, तहसील–बड़कोट, जिला–उत्तरकाशी की 6.083 हे0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(संलग्नक–1)**

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू 16,32,982.00 (रू0 सोलह लाख बतीस हजार नौ सौ बयासी) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू 25,70,068.00 (रू0 पचीस लाख सत्तर हजार अड़सठ) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र संख्या–1844/4 भू0अ0 दिनांक 06–09–2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में यथासमय कर दिया जायेगा।

5. शर्त संख्या–5 व 6 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिए गये डिमाण्ड नोट के आधार पर ऑन लाईन जमा की गयी है। **(संलग्नक–2)**

6. शर्त संख्या--7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र संख्या–1844/4 भू0अ0 दिनांक 06–09–2016 के द्वारा अवगत कराया गया है कि इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है कि जनपद–कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. शर्त संख्या--8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाईन कर दिए गये हैं।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

**संलग्नः–यथोपरि।**

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

**संख्या :– /FP/UK/ROAD/9662/2015 दिनांकित।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी